कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक / 993 / 23–भारत निर्वा. / 2018 रायसेन दिनांक 14 / 09 / 2018

/ / निविदा सूचना / /

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने के उद्देश्य से रायसेन जिले की विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 140–उदयपुरा, 141–भोजपुर, 142–सांची एवं 143–सिलवानी के लिये ईव्हीएम कमीशनिंग, स्ट्रांगरूम, आरओ कक्ष , मतगणना स्थल, क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार एवं सामग्री वापसी स्थल आदि पर क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरा लगाने हेतु सील बंद लिफाफे में **दिनांक 24.09.2018 को अपरान्ह 02.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदाकरों के समक्ष समिति द्वारा **दिनांक 24.09.2018 को अपरान्ह 04.00** को खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि जिला निर्वाचन कार्यालय से रूपये 300.00 / – का नगद भुगतान कर **दिनांक 24.09.2018 को अपरान्ह 01.00 बजे** तक तक प्राप्त किया जा सकता है

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
रायसेन

पृ.क्रमांक / 993 / 23 निर्वा. / 2018 रायसेन दिनांक 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त , भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आयुक्त जनसंपर्क ,मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उक्त निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
4. कलेक्टर ....(समस्त) की ओर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफिसर.....................(समस्त) जिला रायसेन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. जनसंपर्क, अधिकारी रायसेन की ओर उक्त निविदा सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
8. तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निग ऑफिसर ....(समस्त) रायसेन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार--प्रसार हेतु।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी ....(समस्त) जिला रायसेन की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
रायसेन

निविदा की शर्ते :—

1. निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (समान्य) जिला रायसेन को संबोधित होना चाहिए।
2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 25000.00/— का बैंक ड्राफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रायसेन के नाम से संलग्न होना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
3. निविदाकार को निविदा स्वीकृति की सूचना कार्यालय द्वारा दी जावेगी एवं अस्वीकृत निविदा की सूचना नहीं दी जावेगी।
4. निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी होगी एवं निविदा दाता द्वारा इसे हस्ताक्षरित कर बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी होगी।

5— संलग्न विवरण प्रपत्र अनुसार रायसेन जिले में क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरा (फुल एसेसरीज सहित) लगाने की आवश्यकता है।

6— निविदाकार का किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सफल निविदाकार द्वारा अधिकृत तकनीकि कर्मचारियों को भोजन, स्वल्पाहार आदि व्यवस्था स्वयं करेगा, इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।

7— निविदाकार प्रत्येक नियत स्थान पर समस्त व्यवस्था स्वयं करेगा।

8— क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरे के प्रत्येक गतिविधियों का दृश्य संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत मतगणना नियंत्रण कक्ष की डाईस पर दिखने की व्यवस्था करनी होगी।

9— निविदाकार द्वारा क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरा लगाने की प्रतिदिन के मान से प्रति कैमरा दर उल्लेखित करेगा। इसके अतिरिक्त 24 घंटे से अधिक की उपयोगिता की दृष्टि से प्रति घंटे की दर से भी उल्लेखित करेगा।

10— क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरे लगाने में तकनीकि दृष्टि से स्वच्छ एवं उत्कृष्ट होने की जावबदेही निविदाकार की होगी।

11— निविदाकार द्वारा क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) कैमरा लगाने की व्यवस्था के लिए कैमरे, कलर टी.वी. , मिक्सर के अतिरिक्त कैमरों की दर पृथक से प्रस्तुत करनी होगी।

12— निविदाकार को मतगणना स्थल के पास एक फलाईंग वीडियों विजिटिंग (Flaying Vedio Visiting) मशीन लगाना होगा जिसके द्वारा सभी कैमरों मे से जिस कैमरे का दृश्य चाहे उसे सिलेक्ट किया जा सके ताकि रिटर्निंग ऑफिसर जिस कमरे का दृश्य अवलोकन करना चाहे उस कमरे का निरीक्षण कर सके।

13— निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 200.00 निर्धारित है जिसे नगद जमा कर जिला निर्वाचन कार्यालय से निविदा प्राप्ति के समय से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है।

14— प्राप्त निविदाओं के समस्त लिफाफे कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष खोलें जावें।

15— निविदा प्राप्त करने वाले निविदाकार को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है :—

16– निविदाकार को क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) के कार्य का अनुभव होना आवश्य है।

17– निविदाकार की वित्तीय स्थितम सुदृढ़ होना चाहिए।

18– निविदाकार को निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की अग्रिम राशि नही दी जावेगी।

19– निविदाकार सीधे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा एवं देयक को संबंधित रिटर्निग आफिसर/उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करेगा।

20– निविदाकार का कार्यक्षेत्र संपूर्ण रायसेन जिला तथा इसके अतंर्गत आने वाले चारों विधान सभा क्षेत्र होगें।

21– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदा दाता की जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्वधन रूप से निरंतर चलता रहे। किसी भी तरह के बिलम्व अथवा रूकावट के लिये उसे कोई भुगतान नही किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

22– निविदाकार द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित है।

23– कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुणदोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते है।

24– निविदाकार निविदा प्रपत्र के भाग –2 में संलग्न प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रस्तुत करेगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

25– निविदाकार से आयकर एवं जी.एस.टी का , शासन के नियमानुसार उन्हें अदा की जाने वाली राशि से कटोत्रा किया जावेगा। निविदा के साथ पेन नम्बर, एवं जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवशयक होगा।

26– किसी भी तरह के विवाद में अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन का होगा।

27– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्य में परिवर्तन के स्थिति में संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार स्वीकृत निविदा दर पर अपनी सेवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने को बाध्य रहेगा।

28– निविदाकार को अपनी फर्म का स्थापना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं निर्वाचनों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

29– निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा में प्रथमतः तकनीकि बिड खोले जावेंगें तत्पश्चात सफल निविदाकारों के वित्तीय बिड खोले जावेंगे।

30– निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

31– निविदाकार अधिक जानकारी के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
रायसेन